



Transportation Security Administration

निम्नलिखित पाबंदियाँ यात्री सकरीनिंग चैक पुआइंट पर तरल पदार्थों, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस पर लागू होती हैं



- किसी भी तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस को ले जाने की अनुमति नहीं है सिवाए इसके कि 1 कुआर्ट (एक लीटर) का साफ पारदर्शी दोबारा सील हो सकने वाला प्लास्टिक का बस्ता जिसमें डाले गए हों 3 ओ जैड (90 ऐम एल) यां उससे कम क्षमता के तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस के पात्र। प्लास्टिक बैग का सामान उसमें ठीक से डाला गया हो तथा प्लास्टिक बैग पुरी तरह से बंद/सील हो और यात्री के उटाए हुए बैग से अलग एक्स-रे निरिक्षण में जा सकता हो
 - आप निम्न लिखित वस्तुएँ भी ले सकते हैं लेकिन इनका ब्योरा आपको टी एस ए को सक्रिनिंग चैक पुआइंट पर देना होगा यदि ये 1 कुआर्ट (एक लीटर) के साफ पारदर्शी दोबारा सील हो सकने वाले प्लास्टिक के बस्ते में न डाले हों या अथवा/एवं 3 ओ जैड (90 ऐम एल) से ज्यादा हों।
 - बच्चा फार्मूला/दूध (मां का दूध सम्मिलित) तथा पात्रों में बच्चों का आहार यदि बच्चा या छोटा बच्चा यात्रा कर रहा हो
 - दवाईयाँ (तरल, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस)
 - तरल (जूस सम्मिलित) अथवा मधुमय यां दूसरे मरीजों के लिए जैल
 - अन्य सभी तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस चैक किये गये बैगों में ही ले जाये जायें
- कहीं से भी खरीदे गये तरल (पीने वाले सम्मिलित) जैल अथवा ऐरोसोलस वायूयान पर ले जाये जा सकते हैं ॥